

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 17, मंगलवार, शाके 1947- जुलाई 08, 2025 Asadha 17, Tuesday, Saka 1947- July 08, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 08, 2025

जी.एस.आर.32 .-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/ एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 16.06.2025 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,
मनीष माथुर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (वित्तीय नियम) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 16, 2025

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 75 का संशोधन.-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के उप-नियम (2) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि जहां संकर्मों के उपापन के लिए बोली हाइब्रिड एन्युटी माडल (एचएएम) परियोजनाओं के अधीन आमंत्रित की जाती है, वहां कार्य संपादन प्रतिभूति कार्य आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी।

स्पष्टीकरण: इस परंतुक के प्रयोजन के लिए हाइब्रिड एन्युटी माडल (एचएएम) परियोजना से लोक निजी भागीदारी अभिप्रेत है जहां सरकार परियोजना लागत का कोई भाग उपलब्ध करवाती है। परियोजना लागत का शेष भाग निजी विकासकर्ता द्वारा जुटाया जायेगा, जो सरकार से निजी विकासकर्ता को एन्युटी संदायों के माध्यम से कवर होगा।”

[एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

मनीष माथुर,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.